न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 81/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

1. बाबू खां
2. इमामुदीन खां
3. खैराती खां

} पि. मकबूल खां जाति मुसलमान निवासी डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र प्रभूदयाल
2. कमला बेवा प्रभूदयाल

} जाति महाजन निवासी बावडा पाडा कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

3. श्री सुनिल आर्य वर्तमान पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण याचिका अ.धा. 235 रा.का. अधि. बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन अपील नामान्तरकरण पत्रावली संख्या 06/2018 बाबू खां बनाम कैलाश।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 व 02 उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः 04.01.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि उनवानी पत्रावली बाबू खां बनाम कैलाश दिनांक 02.04.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई जिसमें दिनांक 02.04.2018 को ही वादग्रस्त भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट के सम्बन्ध में मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु अंतरिम स्थगन जारी हुआ, तथा मूल रिकार्ड तहसीलदार लालसोट से तलब किया गया। दिनांक 20.08.2018 को पत्रावली में रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जांगीड द्वारा वकालातनाम पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2018 के पश्चात दिनांक 02.05.2018 तारीख पेशी दी गई। परन्तु नियत दिनांक के पश्चात पत्रावली को बिना किसी सूचना के निकालकर दिनांक 11.06.2018 को आदेशिका लिखते हुए दिनांक 26.06.2018 नियत की गई। इसके पश्चात बिना किसी सूचना के भी बिना किसी आवेदन के ही पत्रावली दिनांक 20.08.2018 को नियत कर दी गई। जिसका अंकन कॉजलिस्ट मे नही किया गया। पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं उपखण्ड अधिकारी लालसोट से टिप्पणी तलब की गई तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट्स का पक्ष सुने बिना ही बिना विधिक प्रक्रिया के ही प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थीगण के पक्ष में करना चाहते है। समस्त पत्रावलियों में तारीख पेशी देने के पश्चात पत्रावली को अपने पास मंगवाकर रखते है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि नेशनल हाईवे के लिए आवाप्त की जा चुकी है जिसकी मुआवजा राशि अदा करने हेतु विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत कर रखा है। अपीलान्ट उक्त आवाप्त भूमि के मुआवजा राशि पाने के अधिकारी है। किन्तु पीठासीन अधिकारी दीगर व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट न्याय की उम्मीद नही होने से उक्त प्रश्नगत पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया की प्रार्थीगण ने प्रश्नगत प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के अनुचित मकसद से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण माननीय न्यायालय के समक्ष कतई गलत, मनगढंत व बनावटी तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रश्नगत नामान्तरकरण अपील से पूर्व न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट के समक्ष एक दीवानी वाद सं. 07/2017 उनवानी खैराती खां बनाम मूली वगैरा प्रस्तुत किया था। प्रार्थीगण ने उक्त वाद पत्र मूल देवी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख.न. 4169/613 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसमें से कुछ भूमि को नेशनल हाईवे सं. 11ए लालसोट बाईपास के लिए सडक बनाने के लिए आवाप्त किया हैं, की आवाप्ति व मुआवजे की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रस्तुत किया था। उक्त वाद पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश लालसोट द्वारा दिनांक 11.05.2017 को खारिज कर दिया गया था। जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश लालसोट के यहां अपील सं. 23/2017 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 12.02.2018 को खारिज कर दी गई। तत्पश्चात आवाप्ति एवं मुआवजे की कार्यवाही को स्थगन के जरिये रूकवाने का कोई आधार नही बच पाने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण की अपील वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष पेश कर वादग्रस्त भूमि ख.न. 4169/613 ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट के सम्बन्ध में मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का अपील प्रस्तुति की दिनांक 02.04.2018 को अंतरिम स्थगन प्राप्त कर लिया और जब उक्त नामान्तरकरण की अपील में जैसे ही रेस्पोडेन्ट की ओर से वकालातनामा प्रस्तुत हुआ तो प्रार्थीगण ने यह जानते हुए की यदि मैरिट पर बहस हो गई तो जो अंतरिम निषेघाज्ञा उन्होने न्यायालय से तथ्यो को छिपाकर जारी करवा रखी है, वो मैरिट पर सुनवाई होने पर समाप्त की जा सकती है। इसलिए पीठासीन अधिकारी पर अनरगल व झूठे आरोप लगा कर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अपील सं. 6/2018 उनवानी अपील बाबू खां बनाम कैलाश विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 616 दिनांक 16.04.1963 अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

02.04.2018 को अपील दर्ज होकर आगामी पेशी दिनांक 02.05.2018 तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात पत्रावली में नोटिस जारी होकर पत्रावली को न्याय आपके द्वार डीडवाना में दिनांक 26.06.2018 को पेशी नियत की गई थी। उक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 की ओर से श्री नरेन्द्र जांगीड एडवोकेट द्वारा दिनांक 20.08.2018 को वकालातनामा पेश होने पर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया जाकर मूल नामान्तरकरण तलबी हुेत आगामी पेशी 27.08.2018 नियत की गई। दिनांक 27.08.2018 को उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश करने हेतु समय चाहा गया था। जिसमे समय दिया जाकर पत्रावली में आगामी पेश दिनांक 30.08.2018 नियत की गई। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मनगढंत एवं कपोल कल्पित होना व्यक्त किया गया है। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यो एवं पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त टिप्पणी में अंकित तथ्यो पर मनन करने के पश्चात प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त कारण नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन अपील नामान्तरकरण पत्रावली संख्या 06/2018 बाबू खां बनाम कैलाश को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official